न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट चौमूं, जिला जयपुर

मु.न. 106/2017

उनवान

1. श्रीमति गीता देवी पत्नी सुरजमल, जाति हरियाणा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

——वादी

बनाम

1. ग्राम पंचायत कुशलपुरा जरिये सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर ।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार महोदय, चौमूं, तहसील चौमूं, जिला जयपुर।

——प्रतिवादीगण

वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांकः— 21.10.2021

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थीगण ने अपने वाद में निवेदन किया है कि वाके ग्राम कुशलपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर में स्थित हाल खसरा नम्बर 524 रकबा 0.48 हैक्टेयर, जिसके गत खसरा नम्बर 142/856 रकबा 0.48 हैक्टेयर रहा हैं। जिसमें वादीया का हिस्सा 1/2 सम्पूर्ण में निहित हैं तथा रिकार्ड काबिज काश्तकार हैं। उक्त भूमि ही उक्त वाद पत्र में विवादित हैं। जिसे वाद पत्र की अग्रिम मदों में भूमि विवादग्रस्त कहा गया हैं।

उक्त भूमि विवादग्रस्त ग्राम कुशलपुरा व समरपुरा की सरहद पर स्थित हैं, तथा वादीया अपनी खातेदारी आराजी खसरा नम्बर पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही हैं तथा अपनी निवास हेतु उक्त खसरा नम्बर में दक्षिणी सीमा की और पुख्ता मकानात बना रखे हैं। उक्त खसरा नम्बर के दक्षिणी और स्थित सीमा पर कोई न तो रिकार्डेड ना ही मौके पर रास्ता मौजूद हैं, ना ही सीमा समरपुरा की और रास्ता स्थित हैं। इसके बावजूद प्रतिवादी संख्या 1 अवैध रूप से जबरदस्ती रास्ता कायम करने पर आमदा हो रहा हैं। दिनांक 14.12.2009 को हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी उक्त खसरा नम्बर के दक्षिणी सीमा की और कोई रास्ता नहीं हैं।

दिनांक 28.8.2017 को प्रतिवादी संख्या 1 अपने कर्मचारियों को लेकर भूमि विवादग्रस्त पर आया तथा वादीया की भूमि विवादग्रस्त में जबरिया रास्ता निकालने पर आमदा हो गया, तथा जब वादीया ने रास्ता निकालने से मना किया तो वादीया को धमकी दी कि वह जबरदस्ती वादीया की भूमि में होकर रास्ता निकाल कर रहेगा, तथा वादीया के जचे सो कर ले। इसलिये वादीया को यह वाद पत्र श्रीमान् जी के समक्ष प्रस्तुत करना लाजमी आया हैं।

अतः वादीया को निम्न अनुतोष प्रदान किये जायें :—

(क) यह कि वाद वादीया विरूद्ध प्रतिवादीगण बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का मय हर्जा व खर्चा के डिकी फरमाया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा के इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि प्रतिवादी संख्या 1 वादीया को उसके कब्जे काश्त में, उपयोग—उपभोग में कोई दखलन्दाजी, बाधा, मजाहमत या मदाहखलत पैदा नहीं करें, ना ही भूमि विवादग्रस्त में कोई रास्ता निकाले, ना ही खड्डे खोदे, ना ही रोड डाले, तथा प्रतिवादी संख्या 2 भूमि विवादग्रस्त बाबत किसी प्रकार का कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं होने देना सुनिश्चित करें। उपरोक्त समस्त कृत्य [illegible] वादीगण स्वंय करें, ना ही अपने किसी एजेन्ट, सर्वेन्ट, वर्कमैन, परिवारजन आ[illegible] जा[illegible] करवायें।

वादीगण के वाद पत्र पेश करने पर पत्रावली दर्ज [illegible] की गई। पत्रावली आज प्रशासन गावों के संघ अभियान [illegible] कुशलपुरा [illegible] हुई। ख0न0 524 [illegible] ग्राम की सीमा पर स्थित होकर मौके पर सुखाचार श्रे[illegible] के तहत दो राजस्व ग्रामों को जोडनें वाले रास्ते में आवागमन चालू है अगर वादी का वाद स्वीकार किया जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:49:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है तो मौके पर अप्रार्थीगण के द्वारा चालू रास्ते में आमजन की सुविधा के लिए सडक आदी बनाकर रास्ते का विकास करना संभव नही हो सकेगा। जिससे वादी का वाद आमजन की सुविधा को मध्यनजर रखते हुए स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः वादी का वाद खारीज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राहुल जैन)
आई.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
चौमूं (जयपुर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Jain
Date: 2021.11.22 12:49:13 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner